संख्या-11 / 2016-सा-3-236 / दस-2016-301(08) / 2015

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 18 अप्रैल, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-468 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

रिट याचिका संख्या-1685(एस / एस) / 2016 कर्ता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 28-01-2016 के सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किये गये हैं:-

".....the services rendered by the petitioner as a muster-roll work-charge employee cannot be counted for the purposes of calculating the qualifying service for pension, nevertheless, he is entitled to be considered for the

--2 / -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

benefit of the provision contained in Regulation 468 of the Civil Service Regulations. The matter is remanded back to the competent authority for taking a fresh decision in terms of the observations made hereinabove within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before him. Consequences as regards payment of pension and other post-retirement benefits shall follow as per rules based on the decision so taken."

दिनॉक 28-01-2016 के आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित निर्देश भी दिये गये हैं:-

"Considering the fact that such petitions are coming up before this Court everyday, let a copy of this judgment and order be sent to the Chief Secretary, U.P. and Principal Secretary, Karmik as also to the Principal Secretary, Finance for ensuring compliance of the said provisions at the time of calculation of qualifying service of government servants who are due to retire or have retired so that they may not be compelled to approach this Court unnecessarily."

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-468 की व्यवस्था अर्हकारी सेवा के आगणन हेतु समस्त प्रकरणों में समान रूप से प्रभावी है चाहे संबंधित कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि 10 वर्ष अथवा अधिक अथवा उससे कम हो। अत: ऐसे प्रकरण, जिनमें किसी

--3/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि 09 वर्ष 09 माह अथवा उससे अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम हो, में सेवा के अंतिम 03 माह अथवा उससे अधिक की अवधि को एक पूर्ण छमाही मानते हुये अर्हकारी सेवा 10 वर्ष मानी जायेगी तथा तदनुसार पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

3- ऐसे समस्त प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

संख्या-11/2016-सा-3-236(1)/दस-2016, तददिनॉक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4)- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(5)- समस्त मण्डलीय अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(6)- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7)- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।